सरिस्का मे आन्दोलन पर संक्षिप्त रपट

दिनांक 21 मई 2018 से सरिस्का में किसान यूनियन के बैनर तले एक आन्दोलन का आयोजन किया गया, जिसका समापन 27 मई 2018 को जिला कलैक्टर, अलवर से हुई वार्ता के साथ सम्पन्न हुआ। जिसके अन्तर्गत किसानों की कुछ मांगें मान ली गई। जो मांगें सरकार के स्तर पर तय होंगी, उन्हें सरकार को भेजने का आश्वासन दिया। आन्दोलन में सरिस्का के सभी गांवों के कई सौ प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस आन्दोलन के अन्तर्गत वार्ताएं हुई कि किस प्रकार वन विभाग सरिस्का बाघ संरक्षित क्षेत्र में परम्परागत वन निवासियों के साथ बदसलुकी कर रही है। सरिस्का क्षेत्र के पीडित वन निवासियों ने वार्ताओं के दौरान अपनी पीडा सुनाई। इन सभी प्रकार की पीडाओं के साथ किसानों ने मांगे रखी, जिनमें से मुख्य निम्न प्रकार हैंः–

- ❖ वन अधिकार अधिनियम, 2006 एवं नियम, 2008 के तहत गैर खातेदार को खातेदारी अधिकार/रहवासी पट्टे एवं रजिस्ट्रियों पर लगी पाबन्दी हटाना।
- ❖ सरिस्का क्षेत्र में बसे गांव पशुपालन पर निर्भर हैं उनको पशु चराने की छूट देना।
- ❖ सरिस्का क्षेत्र से लगे गांवों की मूलभूत सुविधाओं को यथावत रखना जैसे– छप्पर बनाना, मकान बनाना, घरेलु विद्युत कनैक्शन, कृषि विद्युत के कनैक्शन, राशन कार्ड, पहचान पत्र, स्वास्थ्य केन्द्र, किसान क्रेडिट कार्ड, स्कूल की बाउण्ड्री, स्वास्थ्य केन्द्र की बाउण्ड्री, आंगनवाडी, हैण्डपम्प, बारात आने जाने, बीमार व्यक्तियों को आने जाने जैसी समस्याओं का समाधान करना।
- ❖ राजस्व गांवों की आबादी वाली भूमि को ग्राम पंचायतों के नाम कर रहवासी पट्टा दिया जावे।
- ❖ सरिस्का क्षेत्र के आस–पास के ग्रामीणों पर आये दिन झूठे मुकदमें लगाना व प्रताडित करना।
- ❖ वन्य जीवों द्वारा किसानों के खेतों में हुए नुकसान का मुआवजा देना व जंगली जानवरों को खेतों में जाने से रोकना।

कृपाविस के नेतृत्व में सरिस्का से विस्थापित लोगों ने कुछ दिन पूर्व भी सरिस्का बाघ परियोजना क्षेत्र से विस्थापित होने वाले परिवारों के पुनवास पैकेज विकल्प–2 के तहत जारी किये जाने वाले अधिकार पत्र में पैकेज में दी गई जमीन के मल्कियत/मालिकाना हक किये जाने के सन्दर्भ में ज़िलाधीश व अध्यक्ष, ज़िला स्तरीय पुनर्वास निगरानी/क्रियान्वयन समिति सरिस्का बाघ परियोजना को ज्ञापन दिया जिसमें सरिस्का बाघ परियोजना क्षेत्र में विस्थापित होने वाले परिवारों के पुनर्वास के सन्दर्भ में निम्न बिन्दुओं पर ध्यान व कार्यवाही करने की मांगे रखी –

1 पुनर्वास पैकेज के विकल्प–2 में प्रत्येक पुनर्वासित परिवार से पैकेज का 10 प्रतिशत (राशि रू. 1 लाख) आधारभूत सुविधाएं विकसित करने के नाम पर काटा गया है। जबकि पुनर्वास में चुनी गई मौजपुर रूंध में आज तक सडकें, नालीयां, सार्वजनिक पेयजल सुविधाएं, स्वच्छता, संचार, सामुदायिक केन्द्र, चारागाह, आंगनबाडी, चिकित्सा इत्यादि कोई भी सुविधा विकसित नहीं की गई है। इन सबसे अलावा वन संसाधनों तक पहुंच का कोई अवसर उपलब्ध नहीं रहा है।

2 पुनर्वास पैकेज–2 में एन.टी.सी.ए. के प्रावधानों के अनुसार भूमि (2 हैक्टर/ पैकेज का 35 प्रतिशत) की बजाय 6 बीघा दी जा रही है जिसके बारे में संबंधित अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा जाए एवं दिए जाने वाले अधिकार पत्र में भी उसका विवरण लिखा जाए।

3 पुनर्वास पैकेज विकल्प–2 के तहत जारी किये जाने वाले अधिकार पत्र में पैकेज में दी गई जमीन के मल्कियत/मालिकाना हक को स्पष्ट रूप से अंकित किया जाए।

4 पुनर्वासित होने वाले परिवारों को जारी किए जाने वाले अधिकार पत्र आप जिला कलेक्टर द्वारा ही जारी किये जाएं, जैसा कि एन.टी.सी.ए. एवं वन अधिकार अधिनियम के प्रावधानों में विहित है। (वर्तमान में अधिकार पत्र उपवन संरक्षक द्वारा जारी किये जा रहे हैं)। जमीन राजस्व गांव के राजस्व खाते मे पुनर्वासित के नाम दर्ज की जावे।

6 पुनर्वास पैकेज विकल्प–2 के अन्तर्गत आवंटित भूमि के आवश्यकतानुसार उपयोग की स्वतंत्रता दी जाए।

7 पुनर्वास पैकेज–2 में स्वीकृति देने वाले, राजस्व गांवों से जाने वाले परिवारों को उनकी राजस्व खातेदारी की जमीन के बदले बराबर जमीन का मुआवजा एवं अन्य अचल संपत्ति का मुआवजा नहीं दिया जा रहा है, जिससे विस्थापित होने वाले परिवारों को बहुत अधिक आर्थिक नुकसान झेलना पड रहा है। अत जमीन समर्पित करके आने वाले पुनर्वासित परिवारों के लिए महत्वपूण प्रकिया सुनिश्चित की जाए।

8 सरिस्का के अन्दर पडने वाले राजस्व गांवों की कृषि भूमि की डी.एल.सी. रेट अनुपातिक रूप में बहुत कम है जिसका पुनर्निर्धारण किया जाना अति आवश्यक है और उसके अनुसार ही मुआवजे का निर्धारण किया जाए।

9 वन अधिकार अधिनियम के पुनर्वास कियान्वयन से संबंधित प्रकिया का पालन करते हुए वन अधिकारों की मान्यता की जाए।

सरिस्का बाघ परियोजना क्षेत्र से गांवों के पनर्वास की बजाय उनके वन्य जीवों के साथ सह–असतित्व की ऐतिहासिक व्यवस्था का सम्मान करते हुए वन अधिकार अधिनियम, 2006 की अनुपालना करवाने एवं जनजातियों को उनके पारम्परिक वन संसाधनों पर संवैधानिक अधिकार प्रदान कराने चाहिए।

अभिशंकर शर्मा,

कृपाविस, अलवर